छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी—मार्च, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार,दिनांक 9 मार्च, 2021 (फाल्गुन 18, 1942)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019—20 पटल पर रखेंगे।

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 तथा 2019—20 पटल पर रखेंगे।

(4) श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 एवं 2019—20 पटल पर रखेंगी।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, सदस्य, दंतेवाड़ा के कारली पुलिस लाईन में एक युवती की हत्या को आत्महत्या बताये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री सौरभ सिंह, कुलदीप जुनेजा, सदस्य, प्रदेश में राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में साईबर ठगी की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(4) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में सुरक्षाबल तथा छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों द्वारा आत्महत्या किये जाने की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक अनाचार किये जाने की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, सदस्य, जिला दुर्ग, अमलेश्वर थाना अंतर्गत ग्राम खुड़मुड़ा में एक ही परिवार के व्यक्तियों की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में नकली नोट छापने व खपाने का अवैध करोबार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ जिले में स्थापित उद्योगों में श्रमिकों की मौतें होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य, नगर निगम रायपुर द्वारा संजय गांधी चौक से नहरपारा होते हुए मौदहापारा जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण नहीं किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ क्षेत्र में उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य,उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों का अवैध शिकार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा में जिला खनिज संस्थान न्यास मद की राशि का बिना बीज, पौधा, ड्रीप स्थापना एवं पौधारोपण के आहरण किये जाने की ओर उद्यानिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री संतराम नेताम, सदस्य, बीजापुर जिला अंतर्गत भैरमगढ़ के पेरमापारा में की–स्टोन इन्फ्रा लिमिटेड द्वारा गौण खनिज का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) श्री धरमलाल कौशिक, डॉ रमन सिंह, श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

क्रमशः 3

(16) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) सर्वश्री धरमलाल कौशिक, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में अनियमितता किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, सौरभ सिंह, सदस्य, शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में फीस के निर्धारण हेतु फीस विनियामक अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई नहीं किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) सर्वश्री धरमलाल कौशिक, ननकीराम कंवर, नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री लखेश्वर बघेल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चतुर्थ, पंचम, षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री कुलदीप जुनेजा, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का सप्तम्, अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

- (i) विकासखण्ड मुख्यालय बस्तर में महाविद्यालय खोलने,
- (ii) ग्राम दुबेउमरगांव से ब्लाक मुख्यालय तक सड़क डामरीकरण करने,

(2) श्री पुरूषोत्तम कंवर, सदस्य, कटघोरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

- (i) बांकीमोगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
- (ii) नगरपालिका परिषद दीपका में पशु चिकित्सालय खोलने,

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य –

- (i) विकासखण्ड सक्ती के ग्राम ढोलनार से जगदल्ली तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,
- (ii) विकासखण्ड सक्ती के ग्राम डंगबोर से जगदल्ली तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,
- (iii) विकासखण्ड सक्ती के ग्राम टेमर से सपनाईपाली तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,
- (iv) विकासखण्ड सक्ती के ग्राम नंदौरकला से अचानकपुर तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,
- (v) विकासखण्ड सक्ती के ग्राम सुआडेरा से नंदौरकला तक मार्ग निर्माण करने,
- (vi) विकासखण्ड सक्ती के ग्राम सिवनी (च) से बहेराडीह तक मार्ग निर्माण करने,

क्रमशः 4

(vii) विकासखण्ड सक्ती के ग्राम पाली से एल.बी.सी. मुख्य नहर तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(viii) जिला जांजगीर–चांपा अंतर्गत ग्राम पंचायत सिवनी (च) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(ix) जिला जांजगीर–चांपा अंतर्गत नगर पंचायत नया बाराद्वार में संचालित सिविल डिस्पेंसरी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने,

(4) श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य –

(i) विकासखण्ड बलौदा अंतर्गत ग्राम कमरीद राजमार्ग से अफरीद तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(ii) विकासखण्ड बलौदा अंतर्गत ग्राम जाटा से बघौदा तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(iii) विकासखण्ड बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम सोंठी से अफरदी तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करने,

(iv) विकासखण्ड बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम संजयग्राम (चोरिया) से ठठारी तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(v) विकासखण्ड बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम कचंदा से सकरेलीखुर्द तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(vi) विकासखण्ड सक्ती अंतर्गत ग्राम धनपुर से गुढ़आ तक मार्ग निर्माण करने,

(vii) विकासखण्ड बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम सरहर से रिस्दा तक मार्ग निर्माण करने,

(viii) विकासखण्ड बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम सारागांव एन.एच. से देवरी व्हाया सरारपारा, सोनियापाठ, रेल्वे स्टेशन तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(ix) विकासखण्ड सक्ती अंतर्गत ग्राम देवरमाल से ढोलनार तक मार्ग निर्माण करने,

(x) विकासखण्ड सक्ती अंतर्गत ग्राम खरवानी (ब) से लहंगा तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(xi) विकासखण्ड सक्ती अंतर्गत ग्राम लिमतरा से सपनाईपाली तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(xii) विकासखण्ड सक्ती अंतर्गत ग्राम अमडीहा से बोराईपुर तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(xiii) विकासखण्ड सक्ती अंतर्गत ग्राम किरारी से लच्छनपुर स्टेडियम तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(xiv) विकासखण्ड सक्ती अंतर्गत ग्राम बैलाचुआ से जगदल्ली तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(xv) विकासखण्ड सक्ती अंतर्गत ग्राम टोलिहाडीह से असौंदा तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(xvi) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भखरा भांठा मोड़ से ग्राम सीघलदीप तक पक्की सड़क निर्माण करने तथा

(xvii) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भुईगांव में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(5) श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य, बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) बालोद में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र प्रारंभ करने,

(ii) बालोद जिला मुख्यालय से राजनांदगांव मार्ग पर पाररास रेल्वे क्रासिंग पर ओव्हर ब्रिज निर्माण करने,

(iii) ग्राम मोहारा (गुरूर) में हाईटेक नर्सरी प्रारंभ करने,

क्रमशः 5

(6) श्रीमती छन्नी चंदू साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) डोंगरगांव से छुरिया तक 33 के.व्ही. लाईन स्वीकृत करने,

(ii) बहमणी चारभाठा में विद्युत उपकेन्द्र खोलने तथा

(7) डॉ. विनय जायसवाल, सदस्य, मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बंजी बुंदेली में थर्मल पॉवर प्लांट की स्थापना करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक,2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) का पुरःस्थापन करेंगे।

(2) श्री ताम्रध्वज साहू, जेल मंत्री, बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक,2021 (क्रमांक 2 सन् 2021)का पुरःस्थापन करेंगे।

निर्धारित समय सायं 5:00 बजे तक (3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक,2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (5) श्री ताम्रध्वज साहू, जेल मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन)विधेयक,2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

7. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

श्री मोहन मरकाम, सभापति, विशेषाधिकार समिति, प्रस्ताव करेंगे कि – विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 8 मार्च,2021